16/12/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप० नहीं अधिवक्ता वादी व वादी को बार-2 आवाज लगाई गई लेकिन उप० नहीं। अंतिम आवाज सायं 5:00 बजे लगाई गई लेकिन उप० नहीं अतः वादी का वाद अदम पैरवी खारिज किया जाता है पत्रावली रेकर्ड अनुसार बेकार गबन से संबंधित प्रतीत है।

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
जिला झुन्झुनू (राज)